सार-समाचार

मैराथन दौड़ व वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित

कोटा, (निसं)। सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित खेल कार्यक्रमों के तहत ग्रामीण पुलिस द्वारा 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ व वॉलीबॉल गेम का आयोजन किया गया। आयोजन का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों एवं जवानों में शारीरिक फिटनेस, अनुशासन एवं टीम भावना को बढ़ावा देने के साथ-साथ आमजन को स्वस्थ एवं नशा-मुक्त जीवनशैली अपनाने एवं सतर्क रहने का संदेश देना रहा। मैराथन का आयोजन ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के निर्देशन व ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकल्याण मीणा के सुपरविजन में किया गया, जिसमें जिले के पुलिस अधिकारी एवं जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने निर्धारित 05 किलोमीटर दौड़ पूरी की एवं वॉलीबॉल गेम खेला मैराथन के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने उत्साह एवं अनुशासन के साथ सहभागिता करते हुए स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, नशे से दूर रहने का संदेश दिया। मैराथन के माध्यम से जिला ग्रामीण पुलिस द्वारा युवाओं एवं आमजन को नशे से दूर रहकर खेल एवं सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने तथा स्वस्थ एवं अनुशासित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

संतुलित आहार के फायदे बताए

कोटा, (निसं)। 9वें पोषण माह के अंतर्गत सोमवार को पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-02, में बच्चों एवं अभिभावकों के लिए पोषण जागरूकता संगोष्ठी आयोजित की गई। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ.सुपर्णा सेन रॉय के निर्देशन में आयोजित संगोष्ठी में स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और जंक फूड से दूरी के महत्व पर जागरूक किया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि पोषण माह के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में प्राकृतिक चिकित्सक डॉ.चंद्रजीत शर्मा ने विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को भोजन और पोषण से जुड़ी उपयोगी जानकारी दी। उन्होंने असंतुलित खान-पान से होने वाली बीमारियों, भोजन बनाने की उचित विधियों तथा बर्तनों के चयन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी बताया। संगोष्ठी में 'जैसा अन्न, वैसा मन' और 'हमारी थाली प्रथम औषधि' के संदेश के माध्यम से दैनिक भोजन में पौष्टिक आहार के महत्व को समझाया गया, साथ ही जल चिकित्सा, आहार चिकित्सा एवं उपवास चिकित्सा जैसे प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों की जानकारी दी गई तथा विद्यार्थियों को पोषित डाइट चार्ट भी प्रदान किए गए।

मेधावी छात्राओं को लैपटोप भेंट

कोटा, (निसं)। कर्मचारी हितनिधी समिति द्वारा मेधावी छात्राओं को लैपटोप भेंट किया गया, वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के सचिव अब्दुल खालिक ने बताया कि कर्मचारी हितनिधी समिति के द्वारा 2400 ग्रेड पे तक के कर्मचारियों की बेटियां को उच्च तकनीकि शिक्षा मे चयनित होने पर केन्द्रीय कर्मचारी हितनिधी समिति की ओर से लैपटोप भेंट किया गया। अब्दुल खालिक ने बताया कि हितनिधि समिति की ओर से रेलवे कर्मचारी सत्यनारायण की पुत्री मुस्कान यादव को एमबीबीएस करने के लिए और रेलवे करचारी गजराज मीना की पुत्री कोमल मीना को आईआईटी हेतु लैपटोप दिया गया। वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी अविरल शर्मा के कक्ष में वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ के अली खान एवं पी.के.गर्ग की उपस्थिति मे अविरल शर्मा द्वारा लैपटोप एवं बेग भेंट किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कर्मचारी हितनिधी समिति के सभी सदस्य एवं सहायक कार्मिक अधिकारी राकेश कुमार भी उपस्थित रहे।

अतिरिक्त महानिदेशक ने द्वितीय बटालियन आरएसी कोटा का भ्रमण किया

कोटा, (निसं)। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आर्म्ड बटालियन्स रूपिन्दर सिंघ द्वारा द्वितीय बटालियन आर.ए.सी. कोटा का भ्रमण किया गया। बटालियन पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया की। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ने बटालियन के लाईन परिसर का भ्रमण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इसके पश्चात अधिकारियों एवं जवानों के साथ संपर्क सभा आयोजित की गई। संपर्क सभा में जवानों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों की जानकारी ली गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। इस दौरान जवानों को एक-दूसरे की बात ध्यानपूर्वक सुनने, आपसी सहयोग एवं हर संभव मदद करने की समझाईश दी गई, ताकि किसी जवान को किसी प्रकार की परेशानी या तनाव की स्थिति में अकेलापन महसूस न हो तथा आवश्यकता होने पर उसे समय पर सहयोग एवं संबल मिल सकें। इस दौरान बटालियन के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में बटालियन की प्रशासनिक एवं अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। भ्रमण के दौरान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस द्वारा वृक्षारोपण किया गया। उन्होंने बटालियन परिसर में विकसित ऑक्सीजन जोन के हर्बल पार्क का भी भ्रमण किया तथा वहां लगाए गए विभिन्न औषधीय वृक्षों एवं पौधों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण एवं बटालियन परिसर को हरित एवं स्वच्छ बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। संपर्क सभा के दौरान नवीं बटालियन आर.ए.सी. टोंक में पदस्थापित हीरालाल, हैड कांस्टेबल नं. 115 के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भ्रमण के दौरान बटालियन के अधिकारियों एवं जवानों ने अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस का स्वागत किया तथा उनके द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने का विश्वास दिलाया।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आर्म्ड बटालियन्स, रूपिन्दर सिंघ द्वारा वृक्षारोपण किया गया। साथ में शहर एसपी तेजस्विनी गौतम एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

अरुंधति चौधरी एशिया बॉक्सिंग एथलीट कमेटी की वाइस चेयरमैन बनी

कोटा, (निसं)। कॉमनवेल्थ और बॉक्सिंग के वर्ल्ड कप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली बॉक्सर और कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। अब तक वह बॉक्सिंग के रिंग में ही अपना कारनामा दिखा रही थीं, अब उन्हें एशियन बॉक्सिंग एथलीट कमेटी ने वाईस चेयरमैन बनाया है। इस पद पर वे निर्विरोध चुनी गई हैं।

भारतीय मुक्केबाजी संघ के सीईओ रिटायर्ड कर्नल अरुण मलिक ने उन्हें दिशा-निर्देश भी दिए हैं कि वह 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जापान जाकर अपना पदभार ग्रहण कर सकती हैं और वहां होने वाली बोर्ड मीटिंग में शामिल हो सकती है। महाबली स्पोर्ट्स एकेडमी के कोच अशोक गौतम ने बताया कि अरुंधति चौधरी ने एशिया बॉक्सिंग के क्षेत्र में यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

अरुंधति चौधरी ने एशियन बॉक्सिंग एथलीट कमेटी के लिए नामांकन किया था। उनके समर्थन में कजाकिस्तान की करीना इब्राहिमोवा ने नामांकन वापस कर लिया है। इसके बाद रविवार को उन्हें एशिया बॉक्सिंग एथलीट कमेटी का वाईस चेयरमैन निर्विरोध चुना गया है। अरुंधति के पिता सुरेश चौधरी ने बताया कि एशिया बॉक्सिंग एथलीट कमेटी में अरुंधति का 4 साल का कार्यकाल रहेगा।

इसके लिए उन्हें 28 सितंबर को जापान के आइची-नागोया जाना है जहां पर वे उपाध्यक्ष पद की शपथ लेंगी। इसके बाद 29 सितंबर को वह एशियन बॉक्सिंग एथलीट कमेटी की मैनेजमेंट बोर्ड की मीटिंग में भी भाग लेगी। एथलीट कमेटी में उपाध्यक्ष बनने के बाद अरुंधति अब बॉक्सिंग की प्रतियोगिताओं में इंपोर्टेड रोल अदा करेंगी। राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के संबंध में उनसे चर्चा की जाएगी।

नेत्र शिविर में 210 लोगों की आंखों की जांच

कोटा, (निसं)। श्री गिरधर गोपाल राजमल सर्राफ चैरिटेबल ट्रस्ट एवं लायंस क्लब कोटा साउथ की ओर से घोड़े वाले बस्ती में निःशुल्क नेत्र जांच एवं चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने पहुंचकर अपनी आंखों की जांच करवाई। ट्रस्ट के सचिव संजय गोयल ने बताया कि शिविर में कुल 210 लोगों की आंखों की जांच की गई। जिसमें 35 मरीजों में मोतियाबिंद पाया गया। चयनित मरीजों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन डॉ. सुधीर गुप्ता द्वारा 30 अक्टूबर को किए जाएंगे। ट्रस्ट के चेयरमैन सुरेंद्र गोयल विचित्र ने बताया कि शिविर में समाजसेवी आनंद राठी, अग्रवाल सेवा उत्थान समिति के अध्यक्ष मोहनलाल अग्रवाल एवं महामंत्री गजानंद सिंघल अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिथियों ने ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की। लायंस क्लब कोटा साउथ की अध्यक्ष सुधा शर्मा एवं सचिव अनामिका राठौर ने बताया कि शिविर में जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क चश्मे एवं दवाईयां भी वितरित की गई। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना और उन्हें बेहतर जीवन देने के लिए निरंतर सेवा कार्य करना है।

विज्ञान मेले का आयोजन

रामगंजमंडी, (निसं)। पीएम श्री श्री हीराभाई परीख राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगंजमंडी में 28 सितम्बर सोमवार को विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। जिसकी मुख्य थीम सतत और विकसित भारत के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार रखी गई। इस मेले का आयोजन जूनियर वर्ग कक्षा 6 से 8 तथा सीनियर वर्ग कक्षा 9 से 12 के लिए किया गया।

इसमें समस्त बालिकाओं ने भाग लिया तथा विभिन्न विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हरित ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, सौर ऊर्जा आदि विभिन्न विषयों पर विभिन्न चार्ट और मॉडल बनाएं तथा बहुत ही रोचक पूर्ण ढंग से उनका प्रस्तुतीकरण भी किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य गार्गी मेहता ने सभी छात्राओं के प्रयासों की प्रशंसा की तथा बताया कि इस प्रकार की गतिविधियों से ही विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है तथा साथ ही उपस्थित व्याख्याता देवकिशन नागर, रामनिवास मीणा, राम कल्याण रेगर, सम्पा सामंत और हीना फारूकी ने भी छात्राओं के प्रयासों की प्रशंसा की।

गोविन्द गुप्ता अध्यक्ष मनोनीत

कोटा, (निसं)। अग्रवाल समाज खेडली फाटक कोटा के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से गोविन्द प्रसाद गुप्ता को अध्यक्ष, महावीर जैन को महामंत्री, सुभाष अग्रवाल उपाध्यक्ष एवं संतोष बंसल कोषाध्यक्ष के साथ-साथ सुशील जैन, आलोक अग्रवाल, धीरज गोयल, बनवारी लाल गुप्ता, जितेन्द्र मित्तल सहित कार्यकारिणी में लिए गये। सभा में अग्रवाल समाज खेड़ली फाटक कोटा का पंजीकरण करवाने तथा अग्रवाल प्रवर्तक महाराजा श्री अग्रसेन जी की जयंती में विविध कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया।

गोविन्द गुप्ता

यूरिया-डीएपी के साथ जबरन अटैचमेंट पर कार्रवाई होगी

- किसानों की शिकायत पर स्पीकर बिरला ने विभागीय सचिव से बात की

कोटा (निसं)। कोटा-बून्दी संसदीय क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों के किसानों ने यूरिया और डीएपी के साथ जबरन अतिरिक्त अटैचमेंट दिए जाने तथा खाद वितरण से जुड़ी अन्य समस्याओं को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत की थी।

किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए बिरला ने सोमवार को केंद्रीय उर्वरक विभाग के सचिव से बात की और पूरे मामले की जानकारी लेकर समाधान के निर्देश दिए। बिरला ने कहा कि किसानों को जबरन अटैचमेंट देना नीतिसंगत नहीं है और मामले का उचित समाधान करने को कहा।

सचिव रजत कुमार मिश्रा ने बिरला को आश्वस्त किया कि यूरिया और डीएपी के साथ जबरन अटैचमेंट देने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़ी अन्य समस्याओं का भी समयबद्ध समाधान किया जाएगा।

शिकायत के अनुसार कई कंपनियां यूरिया और डीएपी के साथ नैनो यूरिया, जिंक, सल्फर, बायो-स्टिमुलेंट, कीटनाशक और अन्य उत्पाद लेने के लिए किसानों पर दबाव बना रही हैं। इससे किसानों पर खाद की कीमत के अलावा अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। किसानों ने ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने और थर्ड पार्टी ब्रांडिंग के लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है।

इसके अलावा किसानों द्वारा खाद सब्सिडी सीधे खातों में डीबीटी के माध्यम से देने, जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए अलग प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था करने, कीटनाशकों की कीमत और गुणवत्ता पर सरकारी निगरानी बढ़ाने तथा खाद वितरण की डिजिटल व्यवस्था में सुधार का सुझाव दिया गया है, ताकि मुख्य खाद के साथ अन्य उत्पाद जबरन न जोड़े जा सकें। तहसील स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड और हेल्पलाइन बनाने तथा दुकानों पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य करने की मांग भी की गई है। किसानों की मांग है कि रबी की बुवाई के समय यूरिया और डीएपी आसानी से उपलब्ध हों।

महापौर, उपमहापौर ने निगम कार्यालय का निरीक्षण किया

कोटा, (निसं)। नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर अनुसूइया गोस्वामी और उपमहापौर विवेक राजवंशी ने निर्वाचन के बाद सोमवार को अपने पहले कार्य दिवस पर नगर निगम कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने निगम भवन के सभी कक्षों का जायजा लेते हुए कहा कि अधिकारी और कर्मचारी समय पर ऑफिस आए और कार्यालय में सकारात्मक और व्यवस्थित माहौल दिखाई दें। महापौर गोस्वामी ने कहा कि कार्यालय में आने वाले आमजन को बेहतर वातावरण मिलना चाहिए। सभी अधिकारी-कर्मचारी सुबह 9.30 बजे कार्यालय में उपस्थित हों और पूरे कार्यालय समय में मौजूद रहकर आमजन की समस्याएं सुनें तथा उनके निराकरण को प्राथमिकता दें। उन्होंने कार्यालय को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखने पर भी विशेष जोर दिया।

कार्यालय से शुरू हो स्वच्छता की शुरुआत-निरीक्षण के दौरान महापौर ने कार्यालय की सफाई व्यवस्था को लेकर कहा कि शहर को स्वच्छ बनाने की शुरुआत नगर निगम कार्यालय से ही होनी चाहिए। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर पड़े अनुपयोगी सामान को हटाने और उपयोगी सामग्री को व्यवस्थित ढंग से रखने के निर्देश दिए। जहां दीवारों की मरम्मत अथवा अन्य आवश्यक कार्य की जरूरत है, वहां तत्काल कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कार्यालय में बंद पड़ी लाईटों को चालू करवाने के निर्देश भी दिए।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- 324 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक : 28.9.2026

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा की बापू नगर आवासीय योजना के भूखण्ड/आवास संख्या 144 का आवंटन/विक्रय/हस्तान्तरण/रजि. प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 64 दिनांक 03. 07.2013 को श्रीमति हेमा शर्मा पत्नि श्री पुरूषोत्तम शर्मा को आवंटन/नामांतरण/रजि. किया गया था। आवंटी श्रीमति हेमा शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का मुख्तारआम श्रीमति अंशुमा पत्नि श्री मोहित कुमार को कर दिया गया। मुख्तारआम द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.08.2018 को श्रीमति समता टेलर पत्नि श्री चन्द्र प्रकाश टेलर को विक्रय कर दिया गया है। अतः क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास को अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड / आवास संख्या 144 योजना बापू नगर आवासीय का नाम हस्तान्तरण आवेदक श्रीमति समता टेलर पत्नि श्री चन्द्र प्रकाश टेलर के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2026/1219 **विज्ञप्ति** दिनांक : 23.9.2026

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कोटड़ी योजना ''आदित्य आवास'' खसरा नं. 210 में स्थित भूखण्ड संख्या 50 के पट्टे बनाने हेतु श्री संजीव शर्मा पुत्र दिलीप राज निवासी - 50, आदित्य आवास, पुलिस लाईन, कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 3281 दिनांक 09.09.2004 को श्रीमती सुमनलता शर्मा पत्नि श्री संजीव शर्मा के पक्ष में जारी किया गया था। संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार पट्टेधारी की मृत्यु दिनांक 15.04.2022 को हो चुकी है। संलग्न विधिक वारिसान घोषणा पत्र के अनुसार मृतक के विधिक वारिसान 1. संजीव शर्मा (पति) 2. ज्योत्सना शर्मा (पुत्री) 3. हीना (पुत्री) 4. चिराग शर्मा कुल चार विधिक वारिसान है। जिनमें से 3 विधिक वारिसानों द्वारा अपने हिस्से का हकत्याग जर्ये रजि. हकत्याग श्री संजीव शर्मा के पक्ष में दिनांक 04.03.2023 को निष्पादित किया है। आवेदक द्वारा संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र, हकत्याग पत्र व अन्य दस्तावेजों के अनुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण अपने पक्ष में चाहा गया है।

अतः श्री संजीव शर्मा पुत्र दिलीप राज के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- 1320 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक : 18.9.26

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखण्ड संख्या-754 योजना विनोबा भावे नगर निर्धन को आंगन (रहेगा सो पायेगा) का आवंटन प्राधिकरण पत्र क्रमांक-780 दिनांक 29.04.2010 द्वारा श्री ग्यारसीराम नागर पुत्र श्री कन्हैयालाल नागर को आवंटन किया गया था। आवंटी श्री ग्यारसीराम नागर की मृत्यु दिनांक 23.11.2010 को हो चुकी है। मृत्यु के पश्चात स्व. ग्यारसीराम नागर के विधिक वारिसान के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में मृत्यु प्रमाण पत्र, आई.डी., रिलीज डीड, शपथ पत्र इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड/आवास को आवेदक श्री गिरिराज प्रसाद पुत्र स्व. ग्यारसीराम नागर के द्वारा अपने नाम हस्तान्तरण करने की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण से चाही जा रही है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड / आवास संख्या-754 विनोबा भावे नगर निर्धन को आंगन (रहेगा सो पायेगा) योजना का नाम हस्तान्तरण नियमानुसार आवेदक श्री गिरिराज प्रसाद पुत्र स्व. ग्यारसीराम नागर के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 के अधीन

नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

मुकदमा नम्बर 182/2026

चूंकि श्रीमती मोहन कंवर पति का नाम स्व. श्री रामसिंह निवासी राजपूत कॉलोनी अनन्तपुरा कोटा द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(2) के अन्तर्गत प्रन्यास ''मंदिर श्री चौथ माताजी हाडी रानी मार्ग, राजपूत कॉलोनी अनन्तपुरा कोटा'' के सम्बन्ध में पंजीयन हेतु जांच किये जाने के लिये आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जायेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।

आज दिनांक 31.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 08.10.2026 है।

सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा

नाम परिवर्तन

मैं कोमल जैन पत्नी अविनाश सोगानी निवासी मकान नं. 848, महावीर नगर प्रथम, कोटा राजस्थान, मेरा नाम विवाह पूर्व मिस कोमल कुमारी जैन था, विवाह पश्चात् मेरा नाम कोमल जैन हो गया है। उक्त दोनों ही नाम मेरे स्वयं के है। भविष्य में मुझे कोमल जैन नाम से जाना जाए।

खोया पाया

राकेश मित्तल पुत्र बंशी लाल मित्तल 4-F-29 विज्ञान नगर कोटा के मूल दस्तावेज़ निरस्तीकरण पत्र व अनुज्ञा पत्र कहीं गुम हो गए हैं किसी को मिलने पर सूचित करें।

सूचना पत्र

सभी आम - खास को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल मुनेन्द्र सिंह पुत्र रिछपाल सिंह व श्रीमति उमा पत्नी मुनेन्द्र सिंह, निवासी सुदर्शन नगर, प्लॉट नं 278, बप्पारावल के पास, चारभुजा, झालरबावड़ी, थाना व तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ राजस्थान ने अपने पुत्र मोहित सिंह तोमर को उसके विपरीत आचरण के कारण अपनी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है तथा अपने पुत्र से हमेशा के लिए माता- पिता एवं पुत्र के संबंध समाप्त कर लिये है।

दिनांक : 28.09.2026

भवदीय

अनिल शर्मा, एडवोकेट

128 गणेश नगर कॉलोनी

रावतभाटा, जिला-चित्तौडगढ

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2026/1145 **विज्ञप्ति** दिनांक : 29.8.2026

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रायपुरा योजना ''रॉयल पार्क'' खसरा नं. 66 में स्थित भूखण्ड संख्या 95 के ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में श्रीमती श्वेता चतुर्वेदी पत्नि केतन देव निवासी - बी-163, आनन्द विहार, रेल्वे कोलोनी, जगतपुरा, जयपुर राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 254 दिनांक 27.07.2016 को श्री कमलेश्वर चतुर्वेदी पुत्र स्व. श्री श्याम सुन्दर चतुर्वेदी के पक्ष में जारी किया गया था। संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार पट्टेधारी की मृत्यु दिनांक 31.10.2017 को हो चुकी है, एवं पट्टेधारी की पत्नि आशा चतुर्वेदी की मृत्यु दिनांक 11.03.2026 व पुत्र अभिषेक चतुर्वेदी की मृत्यु दिनांक 16.09.2023 को हो चुकी है। आवेदिका द्वारा संलग्न घोषणा पत्र के अनुसार मृतक कमलेश्वर चतुर्वेदी के विधिक वारिसान 1. प्रशान्त चतुर्वेदी (पुत्र) 2. सोम्य चतुर्वेदी (पुत्र) 3. रितु चतुर्वेदी (पुत्रवधु) पत्नि स्व. अभिषेक 4. श्वेता चतुर्वेदी (पुत्री) कुल चार विधिक वारिसान है। जिनमें से आवेदिका के अतिरिक्त 3 विधिक वारिसानों द्वारा उक्त भूखण्ड में अपने निहित हिस्सो का हकत्याग जर्ये रजि. हकत्याग श्रीमती श्वेता चतुर्वेदी पत्नि केतल देव के पक्ष में दिनांक 27.10.2025 को आवेदिका के पक्ष में निष्पादित किया है। आवेदिका द्वारा संलग्न (1) पंजीकृत हकत्याग पत्र (2) विधिक वारिसान् शपथ-पत्र एवं (3) मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर अपने पक्ष में नाम हस्तान्तरण चाहा गया है।

अतः श्रीमती श्वेता चतुर्वेदी पत्नि केतन देव के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी। **उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक: LU2012/KOT/2026-27/101276 **लोक सूचना** दि.28.09.2026

श्री M/S SAMRIDDHI ESTATE THREW PARTNER VIJAY KUMAR SINGH पुत्र श्री RAJENDRA PRASAD जाति RAJPUT निवासी KRISHNA TRADERSS, ADARSH NAGAR BAPU COLONY, KOTA JN. KOTA. RAJASTHAN ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	भदाना, लाडपुरा (कोटा)	(1) KUNJ BIHARI NAGAR S/O MAHAVEER HI. 1/9, (2) DAULATRAM S/O PRABHU LAL HI. 1/3 (3) PAWAN NAGAR S/O MAHAVEER HI. 1/9 (4) RAMKANYA W/O LT. SH. MAHAVEER HI. 1/9, (5) HEMRAJ S/O PRABHULAL HI. 1/3 CASTE DHAKAR	777	24600	2.46
				कुल	2.46

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 28/09/2026 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

राजस्थान आवासन मण्डल

अन्तिम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न योजनाओं मे आवंटियों को मण्डल द्वारा किराया क्रय/नगद भुगतान पद्धति के अन्तर्गत आवास आवंटित किए गऐ थे इन आवंटियों ने अपने आवास का विक्रय/हस्तांतरण अन्य व्यक्तियों को कर दिया है आवास क्रय करने वाले व्यक्तियों ने आवास का अपने पक्ष में नियमितिकरण करने हेतु वांछित प्रपत्रों सहित आवेदन किया है। अतः निम्न सूची में सम्मिलित आवास का मूल आवंटी के नाम से निरस्तीकरण करते हुए इनका नियमितिकरण क्रेता के पक्ष में किए जाने की कार्यवाही की जा रही है, इन प्रस्तावित निरस्तीकरण/नियमितिकरण के विरूद्ध कोई हितकारी अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहे तो सूचना प्रकाशन से 07 दिन मे उप आवासन आयुक्त वृत्त कोटा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। आपति प्राप्त नहीं होने पर यह मानते हुऐ कि इन आवासों के मूल आवंटियों/हितकायो को नियमितिकरण बाबत् कोई आपत्ति नहीं है आवास का आवंटन बिना किसी अन्य सूचना के मूल आवंटियों के नाम से निरस्त कर एवं नियमितिकरण क्रेता के पक्ष में किए जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

नियमितिकरण हेतु प्राप्त आवेदन

क्र. सं.	मूल आवंटी का नाम	क्रेता का नाम	मकान न0	कॉलोनी एवं शहर
1	निर्मला	मोजीराम गुर्जर	3/114	नैनवा
2	हेमराज	मोजीराम गुर्जर	3/113	नैनवा
3	हनुमान सैनी	सुनिता बाई	3/145	नैनवा
4	महेश चन्द माथुर	दिनेश कुमार यादव	3/238	स्वामी विवेकानन्द नगर
5	ठाकुर प्रसाद गुप्ता	अहसान अली	7 E 50	विज्ञान नगर विस्तार कोटा
6	बतुल बाई	अनीता मीणा	2/99	अकलेरा
7	बतुल बाई	अनीता मीणा	2/98	अकलेरा
8	गोविन्द मीणा	अनीता मीणा	2/105	अकलेरा
9	गोविन्द मीणा	अनीता मीणा	2/104	अकलेरा
10	रामचन्द्र	मुजम्मिल खान	7 C 54	विज्ञान नगर विस्तार कोटा
11	मोहम्मद इब्राहिम	राम बाई	1 E 9	विकास नगर बून्दी
12	राधेश्याम कुंमावत	सुनीता कुमारी	4 A 11	सुनेल
13	गोपाल सिंह	महेन्द्र सिंह चौहान	3 Ka 15	विज्ञान नगर
14	धुली बाई	कविता देवी	7 M 64	महावीर नगर तृतीय
15	सीता बाई	मीनाक्षी	3 P 66	महावीर नगर विस्तार
16	कृपाल दास	राधेश्याम	2 J 8	महावीर नगर विस्तार
17	बशीर मोहम्मद	जय किशन	3/102	गणेश तालाब
18	गोकुली बाई	रीना कवलानी	4 K 13	महावीर नगर विस्तार
19	लालूराम	राहुल पांचाल	233	एमएनसीपी
20	गिरिराज शर्मा	स्मृति शर्मा	2/384	लाखेरी
21	उर्मिला	शिव कुमार पाण्डेय	1/177	लाखेरी
22	जबीन आरा	कैलाश चौथवानी	4 M 21	महावीर नगर विस्तार
23	दानमल	रणजीत कुमार केडिया	1 L 18	रंगबाडी
24	पुष्पा बाई	गोविन्द शर्मा	1 G 38	जवाहर नगर बारॉ
25	ओम प्रकाश महावर	संजु बाई	1/52	अटरू
26	चतुर्भुज सोनी	रोहित सोनी	1/15	सीएचएस बारॉ
27	सुदर्शन गौतम	मधुसुदन गौतम	2/82	अटरू
28	देवकरण वर्मा	कमलेश बाई	1/132	अटरू
29	विनायक गोचर	अब्दुल हमीद	2/83	लाखेरी
30	कन्हैया लाल	मिर्जा वसीम बेग	7 D 59	विज्ञान नगर विस्तार कोटा

राज.संवाद/सी/26/10848 उप आवासन आयुक्त, वृत्त कोटा

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

CIN : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031

फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण का लाभ उठाया है। नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित है। चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए है, उनके ऋण को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशि पर आगे ब्याज भी लागू होगा।

क्रमांक	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	सैक्शन 13 (2) के नोटिस तिथि	सैक्शन 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	145785828	गृह ऋण	29 अगस्त 2026	8,08,625.81/-

ऋणप्रहिताओं एवं सह ऋणग्रहिताओं का नामः 1. पवन कुमार मेघवाल, 2. राधा बाई

सम्पत्ति पता- संपत्ति का वह पूरा टुकडा और पार्सल जिसका पता नंबर 62911 है. क्षेत्रफल 1480 वर्गफुट, ग्राम चछलाव, ग्राम पंचायत चछलाव पंचायत समिति पिरावा और सुनेल जिला झालावाड, राजस्थान-326513 और इसके किनारे - पूर्व-राम सिंह का बाडा, पश्चिम-आम रास्ता, उत्तर-घर श्री रामनारायण, दक्षिण-रामप्रसाद का बाडा और घर राधेश्याम

आपसे कहा जाता है कि आप उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए ब्यौरे के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** में विलय हो गया है और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तारीखों से अनुबंधित ब्याज दर और अन्य लागतों, प्रभारों आदि के साथ इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता को **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** में विलय हो गया है और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के खिलाफ एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) और धारा 14 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को बिक्री/पट्टे या अन्यथा रूप से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

दिनांक- 29.09.2026
स्थान- राजस्थान

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

कार्यालय नगरपालिका, रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

क्रमांक:-न.पा.रा./2026/3075 दिनांक 28.9.26

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका कार्यालय में भवन निर्माण स्वीकृति बाबत् निम्न पत्रावलिया प्राप्त हुई है। उक्त पत्रावलियों में भवन निर्माण स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के सात दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दे। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नही होगी।

क्रसं	आवेदक का नाम मय पता	राजस्व ग्राम मय खसरा नं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	कॉलोनी का नाम
1	श्री रमेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री मांगीलाल जाति पोरवाल महाजन निवासी रामगंजमंडी	गोरधनपुरा 80 120 पुराना	3	1500 वर्गफीट	आन्नद विहार कॉलोनी
2	श्री अतुल कोचर पुत्र श्री आशीष कोचर पुत्रान श्री राजेन्द्र कुमार कोचर जाति महाजन निवासीगण रामगंजमंडी	गोरधनपुरा 97 व 98	3	1250 वर्गफीट	सुविधि नगर
3	श्री राजेन्द्र कुमार कोचर पुत्र श्री सोभाग्यमल कोचर जाति महाजन निवासीगण रामगंजमंडी	गोरधनपुरा 97 व 98	23	875 वर्गफीट	सुविधि नगर

नोटः- यह आपत्ति सूचना मात्र है सभी प्रकरणों में दस्तावेज जांच, मौका स्थिति एवं रिकॉर्ड से मिलान उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका रामगंजमण्डी